43

प्र/निग0/सतना/2017/4550

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्ट सर्किल रीवा म0प्र0</u>

COURT FEE कोर्ट फी 20रु. Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES — विलोपित/विलोपित
COURT FEE कोर्ट फी 2रु. Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES — विलोपित/विलोपित

तीरथ प्रसाद तनय रामकरण ब्रा0 उम्र 53 वर्ष पेशा कृषि सा0 पड़खुरी तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0----------------------निगराकार

बनाम

1. बुटउआ पत्नी बाला प्रसाद ब्रा0 उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य सा0 पड़खुरी तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0
2. म0प्र0 शासन----------------------------गैरनिगराकारगण

आवेदक की ओर से श्री अरुण पाण्डेय एड. द्वारा पेश/20.11.17
20.11.17
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सज्जनपुर तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 के प्र0क0 82 अ 12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार निम्न हैं :-

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य यह है कि गैरनिगराकार क0 1 बुटउआ द्वारा ग्राम पड़खुरी तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 स्थिति आ0न0 560/2/ख, 559/1, 557/1 कुल किता 3 कुल रकवा 0.230 हे0 के सीमांकन हेतु रा0नि0वृ0 सज्जनपुर के समक्ष आवेदन किया गया। उक्त सीमांकन की कार्यवाही रा0नि0 द्वारा सरहद्दी कास्तकार यानि निगराकार को किसी प्रकार से जानकारी नही दी गई बल्कि चोरी-चोरी निगराकार की अनुपरिथति में एकपक्षीय सीमांकन किया गया। निगराकार दिनांक 05/03/2017 को अपने गृहग्राम से दूर अपनी रिश्तेदारी में चला गया था और रात्रि को जब वह वापस आया तो पता चला कि मेरी अनुपरिथति में सीमांकन कर दिया गया है तब दिनांक 06/03/2017 को मेरे द्वारा रा0नि0वृ0 सज्जनपुर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मेरी

तीरथ प्रसाद पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 4550

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 82 अ–12 / 16–17 में पारित आदेश दिनाक 20–8–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने ग्राम पड़खुरी की आराजी कमांक 560 / 2 ख, 559 / 1, 557 / 1 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक कमांक 82 अ–12 / 16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कराई। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी हलका खेरिया एंव पटवारी हलका पड़खुरी के दल के साथ दिनांक 5–3–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । सीमांकन पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। राजस्व निरीक्षक ने आपत्तिकर्ता एंव अनावेदक क–1 को सुनकर आदेश दिनांक 20–8–17 पारित करके आपत्ति अमान्य करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदक को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक क–1 के	

नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी हैं। यदि आवेदक स्वयं् की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 20–8–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य